

# न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 67/2021

तारीख दायर :-06.10.2021

दिनांक निर्णय :-27.10.2021

निर्णय

पटवारी हल्का नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2021  
117

बनाम

टोल्या पुत्र रेखाराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नयागाव बोलका द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायल टोल्या पुत्र रेखाराम जाति मीना निवासी नयागाव बोलका तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा ग्राम नयागाव बोलका के आ0ख0न0 उरकबा 1.50 हे0 में से 1.00 हे0 किस्म चारागाह बारानी-3 भूमि पर सम्बत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है ।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जर्जे सम्मन तलब किया गया । गैरसायल बावजूद तामिल नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहे । गैरसायल की मंशा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण जारी रखने की है । गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सरह लगान 4 रुपये का 50 गुणा राशि 200/- रुपये शास्ति आरोपित की जाती है । तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा को राजस्व लेखों में मांगकायमी एवं पटवारी हल्का नयागाव बोलका को मांगकायमी एवं वसूली हेतु तथा गिरदावर/पटवारी हल्का नयागाव बोलका को अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर मय घटना बही की नकल के साथ पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे । पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया ।

(बाबूलाल मीना)  
तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष...2021-22  
के पृष्ठ संख्या...23 पर रा.प. 200/-  
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार